



470/1

दस्तावेज- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

दिनांक : 02 दिसम्बर 2016

पत्रांक : 4219 / 05 / 76 / एक / 2016-17

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-बरेली।

विषय :

वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
बैंक आफ बड़ौदा	26750100005245	IFSC Code BARBOBLYBAZ	117.890

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	बरेली	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 बरेली	बाकरगंज-1 बाल्मीकि बस्ती के पीछे गुतथन लाल के मकान से राहुल, धर्मन्द्र के मकान होते हुये आकाश के मकान तक, लल्ला के मकान से इशा चरन और रंजीत के मकान, विक्की वाल्मीकि के मकान से लखपत के मकान तक, राजेश के मकान से सर्वेश के मकान तक तथा मनोहर के मकान से रामबाबू के मकान होते हुये प्रेम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.126
2	बरेली	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 बरेली	बाकरगंज-2 बाल्मीकि बस्ती के पीछे सुरेन्द्र के मकान से दीपक के मकान होते हुये पप्पू के मकान तक मंदिर से विलियम के मकान तक, मेन रोड से बेबी के मकान होते हुये प्रमोद के मकान तक, राकेश के मकान से राम बहादुर के मकान तथा गंगा के मकान से बब्लू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	11.748
3	बरेली	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 बरेली	बाल्मीकि बस्ती चन्दन नगर-1 में मेन रोड से कैलाश के मकान होते हुये दशुआ के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	11.989
4	बरेली	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 बरेली	बाल्मीकि बस्ती चन्दन नगर-2 में मनोज बाल्मीकि के मकान से सुनील बाल्मीकि के मकान तक, अरुण के मकान सुरेन्द्र के प्लाट तक, सतीश बाल्मीकि के मकान से लालू के मकान होते हुये बनवारी के मकान तक, मिखारी लाल के मकान से संगीता के मकान तक, प्रेमपाल के मकान से सुरेन्द्रपाल के मकान तक तथा मदन लाल के मकान से सूरज पाल बाल्मीकि के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.251
5	बरेली	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 बरेली	बाल्मीकि बस्ती सी0बी0 गंज-1 में पूरब साइड तथा रामलाल बाल्मीकि के मकान से शंकर लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	6.637
6	बरेली	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 बरेली	बाल्मीकि बस्ती सी0बी0 गंज-1 में बाल्मीकि मंदिर से सेरज पाल के मकान वाया दीपक के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	10.814



470/2

दूरभाष- 2286709  
2286710

नव चेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
7	बरेली	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 बरेली	बाल्मीकि बस्ती सी0बी0 गंज-3 में श्री शंकर लाल बाल्मीकि के मकान से जोधे लाल बाल्मीकि के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	12.144
8	बरेली	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 बरेली	बिहारमाननगला (छोटी विहार) में श्री लालाराम मौर्या के मकान से श्री दुर्गा प्रसाद के मकान तक, श्री हीरालाल मौर्या के मकान से श्री गोविन्द राम मौर्या के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.279
9	बरेली	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 बरेली	बिहारमाननगला (छोटी विहार)-1 में श्री लाला राम मौर्या के दुकान से जयपाल के मकान तक, श्री रतन लाल मौर्या के मकान से तुलसी राम के मकान तक वाया पूरन लाल दिवाकर तथा महेन्द्र मौर्या के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.595
10	बरेली	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 बरेली	बिहारमाननगला (छोटी विहार)-2 में श्री लेखराज के मकान से चौक मंदिर, होते हुये इम्मन लाल के मकान तक, जयपाल के मकान से ओमप्रकाश के मकान, महावीर सागर के मकान से पुत्तन लाल मौर्या के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.963
11	बरेली	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 बरेली	बिहारमाननगला (छोटी विहार)-3 में पीलीभीत बाइपास रोड से लेखराज मौर्या के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.169
12	बरेली	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 बरेली	बिहारमाननगला (छोटी विहार)-4 में राम बाबू के चक्की से तुलाराम के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1.735
13	बरेली	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 बरेली	बिहारमाननगला (छोटी विहार)-5 में पातीराम व नन्हें लाल मौर्या के मकान से होरी लाल मौर्या के मकान तक, खेतक मौर्या के मकान से होरीलाल मौर्या व तुलाराम के मकान होते हुये गोविन्द राम साहू के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.009
14	बरेली	मलिन बस्ती-83 बजट	न0नि0 बरेली	बिहारमाननगला (छोटी विहार)-6 में गंगाराम साहू के मकान से इम्मन लाल, महिपाल सागर और रास्वरूप सागर के मकान होते हुये होरी लाल सागर के मकान तथा मन्दिर चौक से मदनलाल खुराना होते हुये छदमी लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.431
	योग				117.890

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उपरोक्त सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दश में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।



470/3

दूरभाष- 2286709  
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यववर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

### पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यकम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक